

हिमाचल प्रदेश सरकार



ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए
समाजिक सहायता कार्यक्रम



ग्रामीण विकास विभाग
शिमला, 171009

✓ 1. मातृशक्ति बीमा योजना

प्रदेश की भौगोलिक व आर्थिक स्थितियों को देखते हुए दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार ने (मातृशक्ति बीमा योजना) नामक महिला बीमा योजना प्रारम्भ की है। इसका बीमा सम्बन्धी पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

पात्रता

यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु वाली महिलाएं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लाभ के लिए पात्र हैं।

क्षेत्र विस्तार

यह योजना परिवार की बीमागत महिला को उसकी मृत्यु या अपंगता जो निम्न कारणों से हुई हो, को राहत प्रदान करती है:-

(क)

1. दुर्घटना से (किसी भी प्रकार से)
2. किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबन्दी, सिजेरियन, गर्भाशय, वक्षस्थल निकालने से, बशर्ते मृत्यु आप्रेशन के सात दिन के भीतर हुई हो।

- प्रजनन के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना से।
- डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू-स्खलन, कीटडंक, सर्प डंक, भूचाल, आंधी तूफान से।

(ख) यह बीमा कवच 24 घण्टे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाएं चाहे कहीं भी हो जैसे कि घर पर, बाहर किसी कार्य में सम्मिलित होने पर व्यवसायिक कार्य, किसी भी साधन द्वारा यात्रा से बाहरी तथा दृष्टिगत हुए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से होने पर उपलब्ध है।

1. मृत्यु पर	25,000/-रूपये
2. पूर्ण स्थाई अपंगता	25,000/-रूपये
3. एक आंख या एक अंग या दोनों अंगों की क्षति होने पर	25,000/-रूपये
4. एक आंख या एक अंग की क्षति पर	12,500/-रूपये
5. पति की मृत्यु पर	25,000/-रूपये

अतिरिक्त विशेषताएं:-

यह योजना विवाहित महिला के पति की दुर्घटना मे हुई मृत्यु पर भी लागू होगी तथा 25,000/-रूपये की बीमागत राशि, बीमा कम्पनी द्वारा देय होगी।

दावे की प्रक्रिया:

सम्बन्धित क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी इस योजना के नोडल अधिकारी हैं। सभी दावे खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अधियत होंगे। दावा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे:-

मृत्यु की स्थिति में:

- (1) मृतक के उत्तराधिकारी द्वारा इन्शुरेन्स कम्पनी एवं नोडल अधिकारी को सूचना।
- (2) दावा पत्र ग्राम पंचायत प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापित।
- (3) खण्ड विकास अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाना।
- (4) ग्राम पंचायत प्रधान से मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र।
- (5) ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।

चोट लगने की स्थिति में:

- (1) दावेदार से इन्शुरेन्स कम्पनी एवं नोडल अधिकारी को सूचना।
- (2) दावा पत्र ग्राम पंचायत प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापित।
- (3) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपंगता का प्रमाण पत्र।
- (4) ग्राम पंचायत प्रधान से चोट के कारण का प्रमाण पत्र।

पति की मृत्यु की स्थिति में:

- (1) दिवंगत के उत्तराधिकारी द्वारा इन्शुरेन्स कम्पनी एवं नोडल अधिकारी को सूचना।
- (2) दावा पत्र ग्राम पंचायत प्रधान/ खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापित।
- (3) ग्राम पंचायत/ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र जिस पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये गये हों।